2348

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा, (म0प्र0)

::— **परिपत्र** —::

क्रमांक क्यू 01/परिपत्र/2020 रीवा, दिनांक 08/05/2020

माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर के आदेश क्रमांक क्यू–11 जबलपुर दिनांक 04.05.2020 एवं ए/911 जबलपुर दिनांक 05.05.2020 के पालन में न्यायालय में अति–आवश्यक न्यायिक कार्य का सम्पादन प्रातः 11:00 से 02:00 के मध्य वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से सम्पादित किया जाना है, जिस हेतु न्यायालय से वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिवक्तागण/पक्षकारगण को जोडे जाने हेतु न्यायालय परिसर में निम्नानुसार रिमोर्ट पोइन्ट निर्धारित किये जाते है :–

क्र.	रिमोर्ट पोइन्ट का स्थान	व्ही.सी. का प्रयोजन	ड्यिूटी कर्मचारी का नाम
01	अधिवक्ता संघ हॉल (पोइन्ट–1)	अपर जिला न्यायाधीशगण के न्यायालय से व्ही.सी. हेतु	श्री शिवमूर्ति शुक्ला, एस.ए.
02	अधिवक्ता संघ हॉल (पोइन्ट–2)	अपर जिला न्यायाधीशगण के न्यायालय से व्ही.सी. हेतु	श्री शिवमूर्ति शुक्ला, एस.ए.
03	सर्वर रुम (पोइन्ट–3)	अपर जिला न्यायाधीशगण के न्यायालय से व्ही.सी. हेतु	श्री श्यामशरण पटेल, सिस्टम असिस्टेंट
04	एडी.आर.सेंटर हाल (पोइन्ट–4)	मजिस्ट्रेटगण के न्यायालय से व्ही.सी. हेतु	श्री रामकृष्ण खरे, डी.एस.ए.

नोटः– (1) क्रमांक–4 में नामांकित कर्मचारी का कार्यालय आदेश दिनांक 04.05.2020 में विहित ड्यिूटी को निरस्त किया जाता है।

(2) समस्त अधिवक्तागण/पक्षकारगण उक्त नामांकित रिमोर्ट पोइंट पर उपस्थित होकर वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से सुनवाई सुनिश्चित करेंगे।

(3) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 एवं वर्ग–2 द्वारा उनके निकट के न्यायालय कक्ष में उपलब्ध वीडियों कान्फ्रेसिंग यूनिट के माध्यम से प्रकरण की सुनवाई करेंगे।

(4) उक्त सभी रिमोर्ट पोइट पर अधिवक्तागण/पक्षकारगण को एक–एक करके प्रवेश दिया जायेगा तथा मास्क पहनना एवं सोशल डिस्टेन्सिग का पालन करना अनिवार्य है।

(5) तालिका के कालम क्रमांक–3 में अंकित व्ही.सी. प्रयोजन को सुविधानुसार निर्धारित रिमोट पाइंट्स पर में से किसी भी पाइंट पर मजिस्ट्रेटगण/अपर जिला न्यायाधीशगण के प्रयोजन हेतु उपयोग किया जा सकता है।

(6) श्री उदयभान पटेल, सिस्टम आफीसर, रीवा द्वारा उपरोक्त रिमोर्ट पौईन्ट में वीडियों कान्फ्रेंसिंग के दौरान आने वाले समस्याओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित पोईन्ट में उपस्थित होकर समस्याओं का निराकरण करें।

(अरूण कुमार सिंह)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रीवा (म.प्र.)

क्रमांक क्यू 02/परिपत्र/2020 रीवा, दिनांक 08/05/2020

प्रतिलिपिः–

1– सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रीवा।
2– जिला अधिवक्ता संघ, रीवा।
3– प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, रीवा।
4– सम्बन्धितजन .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

sd/-
जिला एवं सत्र न्यायाधीश.